

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 329/2021

दायर दिनांक:- 24.08.2021

जीसीएमएस नं. 2021/390

उनवान

मोहित पुत्र दीनदायाल नाबालिग जरिये माता अनिता पत्नि दीनदायाल जाति जाट  
निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

दीनदायाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली राज0


—गैरसायलान-03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा  
निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में  
सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार  
सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के  
बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 20.09.2021  
से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि  
सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।  
सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही  
है। अतः मुकदमा न0 329/2021 मोहित बनाम दीनदायाल आदेश 9 नियम 5  
सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में ख्वारिज किया जाता  
है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर  
सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी